

विवरण 6: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2008-09 (लेखा)

(करोड़ रुपये)

| राज्य | बाजार उधार | केन्द्र से ऋण | एनएस-एसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां | भारतीय जीवन बीमा निगम, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण | अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि | आरक्षित निधि | जमा और अग्रिम | उंचत और विविध | विप्रेषण | अन्य | कुल अधिशेष (-) / घाटा (+) | सकल राजकोषीय अधिशेष (-) / घाटा (+) (स्तंभ 2थ से 12) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. गैर विशेष श्रेणी | | | | | | | | | | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | 9,151 | -391 | -14 | 412 | 583 | 270 | -1,812 | 321 | -1,621 | 1,341 | 4,164 | 12,406 |
| 2. बिहार | 3,757 | -279 | 529 | 451 | 144 | 293 | -691 | -96 | -222 | -213 | -1,168 | 2,507 |
| 3. छत्तीसगढ़ | -153 | 95 | -3 | 7 | 74 | 266 | 30 | -97 | 81 | -48 | 776 | 1,027 |
| 4. गोवा | 404 | -23 | 28 | 1 | 166 | 65 | 106 | -37 | - | 87 | 16 | 813 |
| 5. गुजरात | 7,618 | -332 | -74 | 848 | 320 | 382 | 798 | 663 | -22 | -382 | 620 | 10,438 |
| 6. हरियाणा | 2,505 | -47 | -80 | 182 | 352 | -5 | 217 | 34 | -27 | 37 | 3,390 | 6,558 |
| 7. झारखंड | 425 | -165 | 436 | 209 | 257 | - | 154 | 11 | 114 | 121 | 2,190 | 3,751 |
| 8. कर्नाटक | 6,583 | 135 | -164 | 266 | 1,176 | 1,864 | 1,554 | 968 | -52 | -8 | -3,590 | 8,732 |
| 9. केरला | 4,782 | 476 | -102 | 221 | 2,589 | -3 | 132 | -86 | 23 | -31 | -1,655 | 6,346 |
| 10. मध्य प्रदेश | 3,957 | 709 | -126 | 539 | 204 | 13 | 237 | -40 | 62 | -487 | -633 | 4,434 |
| 11. महाराष्ट्र | 16,968 | -35 | 428 | 517 | 803 | 190 | 1,240 | 3,156 | 42 | -332 | -8,978 | 13,999 |
| 12. उड़ीसा | -670 | 74 | 66 | 272 | 459 | -52 | 576 | -13 | -1 | -43 | -334 | 334 |
| 13. पंजाब | 5,739 | 105 | -403 | -718 | 720 | 359 | 645 | -171 | -11 | -125 | 551 | 6,690 |
| 14. राजस्थान | 5,195 | -66 | -434 | 417 | 1,405 | 88 | 346 | 41 | 21 | -67 | 27 | 6,973 |
| 15. तमिलनाडु | 8,792 | 724 | -172 | 553 | 578 | 810 | 1,576 | 194 | 78 | -272 | -4,314 | 8,548 |
| 16. उत्तर प्रदेश | 10,296 | -778 | 426 | 580 | 2,944 | 2,760 | -2,525 | 974 | 78 | -369 | 6,128 | 20,513 |
| 17. पश्चिम बंगाल | 11,543 | -352 | 287 | -25 | 355 | -121 | 1,231 | 306 | 274 | -310 | 370 | 13,558 |
| II. विशेष श्रेणी | | | | | | | | | | | | |
| 1. अरुणाचल प्रदेश | 26 | -4 | 20 | 85 | 79 | - | 153 | 2,780 | -2 | -51 | -2,756 | 330 |
| 2. असम | 2,015 | -69 | 17 | 166 | 390 | -110 | 30 | 162 | 99 | -32 | -4,075 | -1,407 |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 1,752 | -44 | 60 | 95 | 515 | 164 | 217 | 54 | -20 | -500 | -15 | 2,278 |
| 4. जम्मू और कश्मीर | 1,264 | -108 | 453 | 365 | 581 | 195 | -327 | 106 | - | -168 | -35 | 2,325 |
| 5. मणिपुर | 303 | -240 | 199 | 1 | 52 | -8 | 84 | 117 | -48 | -60 | -184 | 217 |
| 6. मेघालय | 186 | -53 | 6 | 30 | 46 | - | 233 | 58 | 16 | -15 | -71 | 435 |
| 7. मिजोरम | 30 | -12 | -2 | -2 | 188 | 1 | 38 | -149 | -72 | -4 | 79 | 94 |
| 8. नागालैंड | 365 | -21 | -2 | 38 | 30 | - | 214 | -106 | -126 | 66 | -117 | 341 |
| 9. सिक्किम | 248 | -14 | -2 | 36 | 29 | 2 | 23 | -5 | 49 | -7 | -126 | 234 |
| 10. त्रिपुरा | 78 | -26 | -19 | 20 | 67 | 14 | 53 | -11 | 4 | -6 | 95 | 270 |
| 11. उत्तराखंड | 884 | -19 | 121 | 133 | 531 | 104 | 61 | -331 | -238 | -87 | 686 | 1,845 |
| सभी राज्य | 1,04,041 | -761 | 1,479 | 5,698 | 15,641 | 7,542 | 4,594 | 8,800 | -1,522 | -1,964 | -8,959 | 1,34,589 |
| ज्ञापन मदें: | | | | | | | | | | | | |
| 1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 2,781 | 2,824 |
| 2. पुदुचेरी | - | -16 | -12 | - | 41 | 12 | 27 | 130 | - | 350 | -161 | 371 |

'-' : शून्य / नागण्य।

नोट : 1. परिशिष्ट सारणी 17 के समान।

2. अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 'आंतरिक ऋण का उन्मोचन' के ब्यौरेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, अतः उसे 'अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया है। अतः इन राज्यों के लिए 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तपोषण मदें 'अन्य' को छोड़कर निवल आधार पर नहीं हैं।

3. 'अन्य' के तहत अन्य संस्थाओं से ऋण, क्षतिपूर्ति बांड, आकस्मिकता निधि में विनियोग, अंतर राज्य निपटान और आकस्मिकता निधि शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।